कार्यालय– प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बस्ती।

दिनांक:19.02.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बस्ती में 10 वृक्षों की सार्वजनिक नीलामी होनी है:–

नियम एवं शर्तें:–

1. नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति अपना निवास प्रमाण–पत्र, फोटो आई0डी0 संस्थान में उपलब्ध आवेदन पत्र पर संक्षिप्त विवरण, धरोहर धनराशि रूपया 2000=00 नकद जमा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं। वृक्षों का निरीक्षण आवेदनकर्ता द्वारा किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
2. नीलामी समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोली वाले बोलीकर्ता को 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करना होगा। शेष 75 प्रतिशत की धनराशि एवं जी0एस0टी0, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त 10 दिवस के भीतर संस्थान में जमा करना होगा। अन्यथा 25 प्रतिशत की धनराशि जब्त हो जायेगी।
3. सम्पूर्ण धनराशि जमा होने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर वृक्ष काट कर हटाने होंगे। यदि वृक्ष कटाई से किसी प्रकार की शासकीय सम्पति का नुकसान होता है, तो बोलीकर्ता को शासकीय नियमानुसार उक्त की भरपायी करना होगा।
4. वृक्षों के निस्तारण के पूर्व वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के तहत पातन अनुज्ञा हेतु रूपया 1000=00 प्रति वृक्ष की दर से राष्ट्रीय बचत पत्र व रूपया 100=00 प्रति वृक्ष की दर से अनुमति वन विभाग में जमा करना होगा तथा पातन के पश्चात अभिवहन पास प्राप्त करना होगा। अभिवहन शुल्क रूपये 38=00 प्रतिटन की दर से अनुमति शुल्क भी वन विभाग के पास जमा कर अभिवहन पास बोलीकर्ता स्वयं प्राप्त करेगा।
5. उपरोक्त सार्वजनिक नीलामी बिना कारण बताये आंशिक एवं सम्पूर्ण से निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी का होगा।
6. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र माननीय न्यायालय बस्ती होगा।

प्रधानाचार्य